

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट)

पीठसीन अधिकारी :- श्रीमति शकुन्तला चौधरी आर0ए0एस0

उनवान

सुरवदेव सिंह

बनाम

लाधूराम डूंगर

दावा बाबत :- 88 R+ B.A.

मुकदमा नम्बर :- 69/23

निर्णय दिनांक :- 29.05.2023

वादी की ओर से वकील श्री स्वताराम कुला की व प्रतिवादी सं० 1, 2, 3 की ओर से वकील श्रीवण महारण की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 29.05.2023 को मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि

श्री गोलू डूंगरसिंह उरा के ताला सं० 86/ 83 के तमारा सं० 115, 134, 158, 161, की कुल 12.1405 हैं, वादी के तालेदार श्री श्री उरिवारी सं० 1 लाधूराम के नाम दर्ज है। उक्त वाद श्री उरिवारी सं० 1 लाधूराम का नाम कलमपत्र किया जाकर वादी सुरवदेव सिंह को स्वतरेदार काशमर घोषित किया जाता है, श्री उरिवारी सं० 2 परमेश्वरी ने अपना एक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है, शालीनामा को डिक्री का प्राय पदा जावे।

यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्या डिक्री आज दिनांक 29.05.2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



सहायक कलक्टर
शिवर प्रभारी
(फास्ट ट्रैक) (शकुन्तला चौधरी) R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़